महत्वपूर्ण

संख्या- 12 /2019/ 1561 /36-3-2019-02(सा०)/2014

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी,
सहारनपुर/शामली/बागपत/गौतमबुद्धनगर/अलीगढ़/
मथुरा, उ०प्र०।

श्रम अनुभाग-3 लखनऊ: दिनाँक: 16 अक्टूबर, 2019

विषय :- हरियाणा राज्य में विधान सभा निर्वाचन, 2019 मतदान दिवस पर सवेतन अवकाश अनुमन्य किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ०प्र० के पत्र संख्या-1932/सीईओ-2-07/2-2019 दिनाँक 10.09.2019 के साथ संलग्न मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के पत्र संख्या-130(30)/(Paid Holiday)/HVSElec/2AE-11793 दिनाँक 02.10.2019 की छायाप्रति संलग्नकों सहित संलग्न का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरियाणा राज्य में होने वाले विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2019 में मतदान दिवस दिनांक 21.10.2019 (सोमवार) को राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कारखानों/दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठानों आदि में कार्यरत श्रमिकों को उक्त मतदान दिवस पर मताधिकार का प्रयोग करने हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत सवेतन अवकाश की व्यवस्था कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त। भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 12 / 2019 / 1561 (1)/36-3-2019 तद्दिनाँक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा को उनके पत्र संख्या-130(30)/(Paid Holiday)/HVSElec/2AE-11793 दिनाँक 02.10.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रषित।
2. श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर।
3. मण्डलायुक्त, सहारनपुर/मेरठ/अलीगढ़/आगरा, उ०प्र०।
4. उप श्रमायुक्त / सहायक श्रमायुक्त, सहारनपुर/शामली/बागपत/गौतमबुद्ध नगर/अलीगढ़/मथुरा (द्वारा श्रमायुक्त)।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०/निदेशक, दूरदर्शन तथा निदेशक, आकाशवाणी, उ०प्र० लखनऊ को जनसाधारण को सूचना हेतु प्रचार-प्रसार के लिए।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।